[2022] 18 एस. सी. आर 721

एम. डी. एनोवर हुसैन

वी.

असम का राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 414)

13 अक्टूबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 302 - – परिस्थितिजन्य साक्ष्य

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.106-अपीलार्थी को अपराध का दोषी ठहराया गया था

यू / s.302 अपनी पत्नी की हत्या के लिए और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः पीड़ित कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी की पत्नी थी और उसके साथ रह रही थी-इस प्रकार, मूल तथ्य यह था कि उसने अपनी पत्नी की संगति कब छोड़ दी थी हालाँकि, केवल अपीलार्थी की जानकारी में, उन्होंने उस संबंध में कुछ भी नहीं बताया-जब अपीलार्थी की पत्नी को मृत शरीर के साथ कई चोटों के साथ मृत पाया गया था और मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था, तो अपीलार्थी को ऐसी चोटों की व्याख्या करने की आवश्यकता थी, जो मृतक को उसी घर में रहने के दौरान लगी थीं-फिर से, कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

उससे स्पष्टीकरण-यदि उसकी पत्नी, जो उसके साथ रह रही थी, इतनी बीमार थी कि उसे अस्पताल ले जाया जा सकता था, तो उस संबंध में तथ्य भी विशेष रूप से अपीलार्थी की जानकारी में थे और वह था

बीमारी की प्रकृति के साथ-साथ जिस तरीके और तरीके से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता थी-लेकिन, ऐसा नहीं था

अपीलार्थी से इन पहलुओं पर स्पष्टीकरण-इसके अलावा, यदि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर भी वह किसी अन्य स्थान पर गया था, तो ऐसा करने का कारण भी विशेष रूप से अपीलार्थी की जानकारी में था।

अकेले अपीलार्थी-उसके द्वारा (अपनी बीमारी के बारे में) दिए गए कारण को सच्चाई से बहुत दूर पाया गया है। घर में ठोस लाने के अपने प्राथमिक बोझ को पूरा किया

अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियाँ-सभी तथ्य और कारक, जो अपीलार्थी के ज्ञान में होने चाहिए, या तो स्पष्ट नहीं किए जाते हैं या अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण गलत साबित होता है-इसलिए, झूठ के साथ इस तरह की चूक वास्तव में अपीलार्थी के अपराध की श्रृंखला में अतिरिक्त लिंक प्रदान करती है।

परिस्थितियाँ गवाहों द्वारा गढ़ा गया झूठ

(पीड़ित की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में) और आसानी से

[2022] 18 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी द्वारा अस्वीकृत बी. यू. के साथ स्वीकार किया गया

एस. 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा इस मामले में इस तरह के मजबूत संबंध प्रदान करती है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो जाती है, जिससे अपीलार्थी के अपराध पर किसी भी संदेह से परे निष्कर्ष निकलता है-समवर्ती दंड इस मामले में हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है-आई. एन. सी. का संविधान अनुच्छेद 136।

त्रिमुख मारौती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 156; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88; बालाजी गुंथू धुले बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 11 एससीसी 685: [2012] 7 एस. सी. आर. 577; नागेंद्र साह बनाम। बिहार राज्य (2021) 10 एस. सी. सी. 725; गार्गी बनाम हरियाणा राज्य (2019) 9 एससीसी 738: [2019] 13 एस. सी. आर. 1; शिवाजी चिंटप्पा पाटिल बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2021) 3 स्केल 384: (2021)

5 एस. सी. सी. 626; सत्य सिंह और अन्न। वी. उत्तराखंड राज्य (2022) 3 स्केल 534: (2022) 5 एस. सी. सी. 438; अनवर अली और अन्न। वी. हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 166: [2020] 9 एस. सी. आर. 878; जोस एलियास पाप्पचन बनाम। पुलिस उप निरीक्षक, कोयिलैंडी और अन्न। (2016) 10 एस. सी. सी. 519 [2016] 8 एस. सी. आर. 115; सरवन सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1957 एस. सी 637: [1957] एस. सी. आर. 953; त्रिमुक मारौती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एस. सी. सी. 681 [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 156; अल्बेर ओराओन बनाम। झारखंड राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 307: [2014] 9 एस. सी. आर. 330; सुद्रु बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 8 एस. सी. सी. 333; उज्जागर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2007) 13 एससीसी 90: [2007] 13 एससीआर 653; विवेक कालरा बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 12 एससीसी 439: [2013] 1 एस. सी. आर. 1070; पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी

176 ; हनुमंत वी. मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343: [1952] एस. सी. आर. 1091; साबित्री सामंतराय बनाम। ओडिशा राज्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 673-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 156

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.2

[1985] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.5

[2012] 7 एससीआर 577

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.5 एम. डी.

एनोवर हुसैन वी। असम का राज्य

2019] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.6

2021) 5 एस. सी. सी. 626

पैरा

9.6

संदर्भित किया गया है

2020] 9 एससीआर 878

पैरा

9.7

संदर्भित किया गया है

2016] 8 एससीआर 115

संदर्भित किया गया है

पैरा

9.8

1957] एससीआर 953

पैरा

9.8

संदर्भित किया गया है

2006] 7 पूरक। एससीआर 156

संदर्भित किया गया है

पैरा

10.2

2014] 9 एससीआर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा

10.4

2007] 13 एससीआर 653

पैरा

10.5

संदर्भित किया गया है

2013] 1 एससीआर 1070

संदर्भित किया गया है

पैरा

10.5

1952] एससीआर 1091

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.1

2021) 10 एस. सी. सी. 725

पैरा

9.5

संदर्भित किया गया है

2019) 8 एस. सी. सी. 333

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.8

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

14 2019 से।

उच्च न्यायालय के 19.08.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील (जे) संख्या 100 में गुवाहाटी में एफ।

एस. महेंद्रन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री की तालिका *

..... 2

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू।

... .6

अभियोजन साक्ष्य।

..... 8

अपीलार्थी का रुख

. 14

निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी पाया और सजा सुनाई

आजीवन कारावास।

. 15

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ।

23

. ... 30

इन अपीलों का दायरा और विस्तार।

.....

एड। ध्यान दें: विषय-सूची में पृष्ठांकन मूल निर्णय [2022] 18 एस. सी. आर. के अनुसार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले में लागू सिद्धांत

..... 31

समवर्ती निष्कर्षों में इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

..... 43

मामला।

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा

1. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

19.08.2016 2013 की आपराधिक अपील संख्या 100 (जे) में, जिसके तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2012 के सत्र मामले संख्या 96 में सत्र न्यायालय, गोलपारा द्वारा पारित दिनांकित 18.07.2013/25.07.2013 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराध और उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी।

2. आवश्यक विवरण में मामले से निपटने से पहले, हम कर सकते हैं

आगामी चर्चा की रूपरेखा को इंगित करने के लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाएँ।

2.1 . परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला है

यह कि पीड़ित, अपीलार्थी की 20 वर्षीय पत्नी होने के नाते, अपीलार्थी के साथ रहते हुए 22.10.2010 पर मर गई; और यह कि उसके मृत शरीर को उसके दादा पीडब्लू-1 मोहम्मद द्वारा पुलिस स्टेशन लाया गया था। अकबर अली, जिन्होंने एक इजहार बनाया (एक्स। 1) कि विवाह के बाद से मृतक को अपीलार्थी द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दी गई थी, जिसने उसे गंभीर चोटों से मौत के घाट उतार दिया और उसके परिवार के सदस्यों को

साजिश में शामिल। रिपोर्ट के अनुसार (Ex. 2), मुखबिर और अन्य गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में की गई पूछताछ में, मृतक की आंखों, गालों और गर्दन के आसपास चोटें देखी गईं। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा इस प्रकार किए गए इजहार पर आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 302 और 120-बी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज की गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार (उदा. 4), मृत शरीर पर कई चोटें आईं और मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था।

2.2 . यह अभियोजन पक्ष का मामला रहा है कि अपीलार्थी था

घटना के बाद फरार हो गया और दो दिन बाद उसे दूर से गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि अन्य

अभियुक्त व्यक्तियों को सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। इनमें से एक

' आई. पी. सी. ', संक्षेप में।

2 ' संक्षेप में 'एफ. आई. आर.'।

एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

मामले की विशिष्टता यह थी कि निजी गवाह, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उन्होंने अनिवार्य रूप से सुझाव दिया कि पीड़ित बीमारी से पीड़ित थी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। अपीलार्थी ने स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 3 की धारा 313 के तहत अपने बयान में

पीडब्लू-1 द्वारा पीडब्लू-6 को दिए गए बयानों में कहा गया है कि उनकी पत्नी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसने यह भी कहा कि वह बीमारी के कारण अपने लिए दवाएं लाने गया था और पुलिस ने उसे बोराबारा में गिरफ्तार कर लिया।

2.3 . ट्रायल कोर्ट ने प्राइवेट द्वारा सामने रखी गई कहानी पर विश्वास नहीं किया

गवाहों और अपीलार्थी द्वारा अस्पताल में पीड़ित की मृत्यु के बारे में, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन में तैयार की गई जांच रिपोर्ट के संदर्भ में, जिस पर पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-4 द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके संदर्भ में भी अन्य परिस्थितियाँ, जैसा कि जांच अधिकारी * पीडब्लू-7 अनवर हुसैन और पीडब्लू-8 डॉ. माधब केआर की गवाही में स्थापित किया गया है। राहंग। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियुक्त-अपीलार्थी एक

दवा लेने के लिए दूसरी जगह जाने की झूठी दलील, हालांकि उसकी जेब में ऐसी कोई दवा नहीं मिली; और वह अपनी पत्नी की हत्या का कारण समझाने में विफल रहा, जो पहले उसके साथ रह रही थी।

उसकी मृत्यु। इस प्रकार, अपीलार्थी को अपने अपराध को साबित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया और ऊपर उल्लिखित सजा दी गई। उच्च न्यायालय उन विचारों के साथ भी आगे बढ़ा जो विचारण न्यायालय के साथ वजन करते थे और आगे यह देखते हुए कि जब अपीलार्थी उचित पेशकश करने में विफल रहा

दोषपूर्ण परिस्थितियों के लिए स्पष्टीकरण या उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असत्य पाया गया, यह परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी बन गई।

2.4 . दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, यह अनिवार्य रूप से अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि गवाहों के लगातार दावे

3 'सी. आर. पी. सी.', संक्षेप में। 4'आई. ओ. ', संक्षेप में।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18725 की धारा 106 के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण का गैर-स्पष्टीकरण या झूठ, इसका आधार नहीं हो सकता है।

दोषसिद्धि; और यह कि अभियोजन पक्ष उद्देश्य साबित करने में विफल रहा है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जब मृतक अपीलार्थी की पत्नी थी और वे एक साथ रह रहे थे,

अपीलार्थी पर अपनी पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु का कारण समझाने का बोझ भारी था, जिसे वह पूरा करने में विफल रहा था। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता घटना के बाद फरार था और दो दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था; और दवा खरीदने के लिए दूसरे स्थान पर जाने के संदर्भ में बहाना की याचिका साबित नहीं हुई है। यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक की कथित बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 के बयानों को पुष्टि करने वाले सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया जाना चाहिए और फिर पुलिस स्टेशन में तैयार की गई जांच रिपोर्ट द्वारा गलत साबित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्यर्थी-राज्य के अनुसार, अपीलार्थी के खिलाफ इस मामले में दर्ज समवर्ती निष्कर्ष बिना किसी हस्तक्षेप के आह्वान करते हैं।

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

3. उपरोक्त रूपरेखा के संदर्भ में और इस अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को देखते हुए, प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में निम्नानुसार देखा जा सकता हैः 3.1 . अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक समीना बेगम की शादी घटना की तारीख से लगभग 3 साल पहले अपीलार्थी से हुई थी और वह अपीलार्थी के साथ गाँव कुरसापखारी भाग 2 में रह रही थी।

(कुमारखाली), पुलिस थाना, लखीपुर, जिला गोलपारा, असम के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह आरोप लगाया गया है कि 22.10.2010 पर लगभग 4 बजेः 00 अपराह्न, पीडब्लू-1 एम. डी. अकबर अली समीना बेगम के शव को उक्त पुलिस स्टेशन, लखीपुर ले आया और एक इजहार (एक्स। 1) बताते हुए

कि मृतक अपने भतीजे की बेटी थी और अपीलार्थी से विवाहित थी, लेकिन शादी के बाद से, अपीलार्थी उसे शारीरिक और मानसिक यातना दे रहा था; और उस दिन (यानी, 22.10.2010 पर) लगभग 12 बजेः 00 दोपहर में, अपीलार्थी ने मृतक पर लाठी और नंगे हाथों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मुखबिर द्वारा आगे कहा गया कि यह घटना अपीलार्थी द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् सनोवर हुसैन (अपीलार्थी का भाई), राबिया खातून (अपीलार्थी की माँ), ज़बेदा खातून (अपीलार्थी की साली), और मोहम्मद के साथ रची गई साजिश का परिणाम थी। रजब अली (अपीलार्थी का रिश्तेदार)। पी. डब्ल्यू.-1 एम. डी. द्वारा किए गए इजहार के आधार पर।

5 इसके बाद इसे 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अकबर अली, 2010 की एफ. आई. आर. संख्या 398 उक्त पुलिस स्टेशन, लखीपुर में आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 302,120-बी के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। 3.2 . जांच अधिकारी, पीडब्लू-7 अनवर हुसैन के दावे के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, उन्होंने

पुलिस स्टेशन जहाँ उन्होंने मृतक की आँखों और गालों के साथ-साथ गर्दन पर भी चोटें देखी; और जाँच रिपोर्ट तैयार की (उदा. 2) चार व्यक्तियों की उपस्थिति में। इसके बाद, पीड़ित का शव

उसे पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल, गोलपारा भेजा गया। 23.10.2010 पर, पीडब्लू-8 डॉ. माधब के. आर. राहंग ने पोस्टमॉर्टम किया और अपनी रिपोर्ट में एक्स। 4 , राय दी कि मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था, जो प्रकृति में जानलेवा था।

302 आई. पी. सी. जबकि अन्य व्यक्तियों को उनके खिलाफ सकारात्मक सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। 16.03.2012 पर, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोलपारा ने अभियुक्त-अपीलार्थी, जिसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया, के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किया। 3.5 . साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद,

अभियुक्त-अपीलार्थी से 14.05.2013 पर धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ की गई थी। अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई सबूत पेश नहीं किया। अंततः, पक्षकारों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा दिनांकित किया 18.07.2013 , अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया और फिर, सजा के सवाल पर पक्षों को सुनने के बाद, अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 5,000 / - डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ।

4. इसमें दर्ज निष्कर्षों की सराहना करने के उद्देश्य से

मामला, प्रासंगिक बयानों से निकले अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना सार्थक होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी द्वारा अपनी जांच में लिए गए रुख से उत्पन्न होने वाले दस्तावेजों के साथ-साथ मुख्य विशेषताएं भी।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियोजन साक्ष्य

5. जैसा कि देखा गया है, अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आठ गवाहों से पूछताछ की है। पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 निजी गवाह थे जबकि आई. ओ. की जांच पीडब्लू-7 के रूप में की गई थी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की जांच की गई थी।

पीडब्लू-8 के रूप में जांच की गई।

5.1 . अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू-1 मो. मृतक के दादा अकबर अली उसके शव को पुलिस स्टेशन ले गए थे।

द इजहार (Ex. 1), जिसके आधार पर विचाराधीन एफ. आई. आर. दर्ज की गई। उन्होंने रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किए थे (उदा. 2) कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में शव पर पूछताछ के बाद बनाया गया था। हालाँकि, उन्होंने सुझाव देते हुए अपने बयान में एक अलग विवरण दिया।

बीमारी और 'मृतक का अस्पताल में भर्ती होना। इसकी प्रासंगिकता के लिए, हम उनके पूरे बयान को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

" एक्स. 1 इजहार और एक्स्ट है। 1 (1) मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं आरोपी अनवर हुसैन को जानता हूं, जो कठघरे में मौजूद है। समीना का निधन

खातून मेरी पोती थी। वह ताहिर अली की बेटी और आरोपी की पत्नी थी। यह घटना लगभग 2 (दो) साल पहले हुई थी। समीना ने आरोपी से लगभग 2 (दो) में शादी की।

घटना से कई साल पहले। वह दूसरे गाँव में अपने पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। समीना घटना से कुछ दिन पहले से 10/15 बीमारी से पीड़ित थी। एक दिन, अचानक, मैंने सुना कि समीना को अस्पताल ले जाया गया है। बाद में मुझे पता चला कि समीना की मृत्यु हो गई है। मुझे बस इतना पता है कि वह बीमार थी और मुझे और कुछ नहीं पता। पति-पत्नी के रूप में उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। लखीपुर अस्पताल जाकर मैंने समीना का शव देखा। इजहार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। उस समय मैं मानसिक रूप से स्थिर नहीं था। जैसे ही मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया।

तदनुसार हस्ताक्षर करें। बाद में पुलिस आई और तैयारी की।

मृत शरीर पर जाँच रिपोर्ट। मैंने उस पर हस्ताक्षर किए। एक्स. 2 जाँच रिपोर्ट और विस्तार है। 2 (1) मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं इतना ही जानता हूँ।

XXXXXXXXXX

मुझे नहीं पता कि इजहार किसने लिखा था और उसमें क्या लिखा था। वहाँ किताब, सहर, अंसेर आदि के घर हैं।

अभियुक्त व्यक्ति के घर के पास। एम. डी.

एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5.1. 1 . इजहार की प्रासंगिक सामग्री (उदा. 1), स्वीकृत रूप से दर्ज किया गया

इस गवाह द्वारा पीडब्लू-1 मो. अकबर अली, जिसके आधार पर विचाराधीन एफ. आई. आर. दर्ज की गई, को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" विनम्र समर्पण जरूरी है। कांतपुर के मेरे भतीजे सैयद अली की बेटी समीना बेगम की शादी अनवर से हुई थी। लगभग 3 (तीन) साल पहले कुरसापखारी भाग-2 (कुमारखाली) गाँव के हुसैन। शादी के बाद से आरोपी नंबर 1 ने

उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आज, यानी आईडी1 पर, अनवर हुसैन ने अपने ही घर के अंदर समीना बेगम का सामना किया और लाठी और नंगे हाथों से हमला करके उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। उक्त घटना साजिश का परिणाम थी

निम्नलिखित नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आरोपित किया गया। यहां यह उल्लेख किया जाए कि उक्त घटना आज दोपहर लगभग 12 बजे हुई।

इसलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करें।

मामले की जांच करें "।

दोपहर में, उसने बाजार में सुना कि समीना की मृत्यु हो गई है; और वह अस्पताल गया और वहाँ उसका शव देखा। 5.3 . पीडब्लू-3 बरेक अली ने यह भी कहा कि मृतक समीना उसकी पोती थी। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने समीना की जहर खाने के बाद मृत्यु के बारे में सुना और वह अस्पताल गए, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के एक हिस्से से इनकार नहीं किया कि जांच रिपोर्ट (पूर्व। 2) उसके हस्ताक्षर थे और जांच के बाद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसकी प्रासंगिकता के कारण, उनके पूरे बयान को इस प्रकार भी दोहराया जा सकता हैः -

समीना की मौत जहर खाने से हुई थी। जब तक मैं अस्पताल पहुँचा, समीना की मौत हो चुकी थी। मैं इतना ही जानता हूँ। बाद में शिकायतकर्ता, मृतक के दादा ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आई। मैं भी वहाँ गया। एक्स.

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 जाँच रिपोर्ट है। एक्स. 2 (2) मेरे हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

XXXXXXXXXX

मृतक समीना मेरी पोती थी। अभियुक्त का घर मेरे घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है। यह दूसरे गाँव में है। अभियुक्त व्यक्ति के घर के पास जफर, अफजल, सहर और कादर आदि के घर हैं। कादर का घर पास में है जबकि बाकी का घर थोड़ी दूरी पर है।

5.4 . पीडब्लू-4 सुकुम अली ने अन्य गवाहों के साथ मिलकर यह भी कहा कि समीना की अस्पताल में मृत्यु हो गई, लेकिन इस तथ्य की गवाही दी कि जाँच रिपोर्ट (एक्स। 2) पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर के साथ तैयार किया गया था और फिर, शव को पुलिस द्वारा पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया था। जाँच। उनके बयान को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

" मैं शिकायतकर्ता अकबर अली को जानता हूं। मैं आरोपी अनवर को जानता हूं जो कठघरे में मौजूद है। मृतक आरोपी की पत्नी थी।

यह घटना लगभग 2 (दो) साल पहले हुई थी। समीना की अस्पताल में मौत हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि समीना को अस्पताल ले जाया गया था। मैं अस्पताल गया और उसे मृत पाया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस आई और शव पर जाँच रिपोर्ट तैयार की।

मैंने जाँच रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर किए।

बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। एक्स. 2 जाँच रिपोर्ट और विस्तार है। 2 (3) इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं।

XXXXXXXXXX

गिर गया "।

अस्पताल में और अस्पताल में मृत्यु हो गई। 5.6 . जैसा कि देखा गया है, उपरोक्त गवाह पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-6 अभियोजन पक्ष के मामले से भटक गए और जोर देकर कहा कि पीड़ित महिला बीमार हो गई थी,

अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि, इजहार देना (Ex. 1) पीडब्लू-1 द्वारा और जाँच रिपोर्ट पर गवाहों के हस्ताक्षर के साथ पुलिस स्टेशन में जाँच का आयोजन (उदा. 2) तथ्य विधिवत स्थापित हैं।

प्रासंगिक कथन। हम इनकी जांच करेंगे और संज्ञान लेंगे।

बाद में प्रासंगिक स्तर पर।

5.7 . इस स्तर पर, इस पर ध्यान देना उचित होगा कि

जाँच अधिकारी पी. डब्ल्यू.-7 अनवर हुसैन की गवाही में कहा गया हैः -

लखीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने मामला दर्ज किया और इसकी जाँच का भार मुझे सौंपा गया। एक्स. 1 (2) यह है कि

लखीपुर पुलिस थाना कमल के तत्कालीन ओ/सी के हस्ताक्षर

चंद्र सील, जिससे मैं परिचित हूँ।

समीना खातून का शव भी (पी. एस.) लाया गया।

इजहार ठहराने के समय। मृतक की पत्नी थी

आरोपी अनवर। मैंने शव के बारे में पूछताछ की। एक्स. 2 यह है कि

जाँच रिपोर्ट और एक्स. 2 (4) मेरे हस्ताक्षर हैं।

मैंने शव को पोस्ट के लिए गोलपारा सिविल अस्पताल भेज दिया।

शव परीक्षण।

मैंने घटना स्थल का दौरा किया और जाँच की

गवाह। मैंने घटना स्थल का एक रेखाचित्र मानचित्र बनाया। एक्स.

3 उक्त रेखाचित्र मानचित्र (आपत्ति के तहत) विस्तार है। 3 (1) क्या मेरे हस्ताक्षर हैं

(आपत्ति के तहत)। जब मैं घटना स्थल पर गया तो मुझे वहां आरोपी नहीं मिला। मैंने उसके बारे में पूछा लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका। बाद में मैंने सुना कि आरोपी निदानपुर में घूम रहा था। मैं चला गया।

वहाँ जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैंने आरोपी को पकड़ लिया

निदानपुर बाजार, उसे पुलिस स्टेशन ले आया और औपचारिक रूप से 24/10/2010 पर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी व्यक्ति था

अदालत को भेजा गया। इसके बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकत्र की गई और जांच पूरी होने पर, मैंने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

अनवर हुसैन के लिए दंडनीय अपराध के लिए यू/एस 302

आई पी सी

एक्स. 4 उक्त आरोप पत्र और अतिरिक्त है। 4 (1) क्या मेरे हस्ताक्षर हैं

उसमें।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच करते समय मैंने आँखों और गालों में चोटें देखी।

मैंने मृतक की गर्दन में चोट भी देखी।

XXXXXXXXXX

जाँच रिपोर्ट में चोटों का कोई विस्तृत विवरण नहीं है। अभियुक्त को निदानपुर बाजार से (पी. एस.) लाया गया था। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम डायरी में नहीं है। यह घटना 22-10-2010 को दोपहर 12 बजे के आसपास हुई और शाम 4 बजे एजहार प्राप्त हुआ। जिसका स्थान

घटना पुलिस स्टेशन से लगभग 5/6 किमी दूर है। एक.

वहाँ पैदल या साइकिल से आ सकते हैं।

महीने के 23 वें दिन सुबह 10 बजे मैं उस स्थान पर गया जहाँ

घटना, लेकिन केस डायरी में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। एच. जी. दिलवर हुसैन मेरे साथ थे।

केस डायरी के साथ। मैं पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता हूँ। पूछताछ के समय 4 (चार) व्यक्ति मौजूद थे। मैं उन लोगों को लाया हूँ

सड़क।

गाँव की सड़क घटना स्थल के उत्तर में है और उसके आगे एक घर है। इसका उल्लेख नहीं है।

यह किसका घर है। दक्षिण में धान का खेत है। इसके आगे दक्षिण में किसका घर है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब्दुल्ला का घर पूर्व में है और पश्चिम में सुपारी का बागान है। इसके बगल में किसका घर है, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

5.8 . पीडब्लू-8 डॉ. माधब के. राहंग ने पोस्टमॉर्टम किया था जिसमें कहा गया था कि मौत का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था, और यह हत्या की प्रकृति का था। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 4) में गवाही दी जिसमें उन्होंने शव की स्थिति के बारे में बताया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

(ii) जीभ बाहर निकली हुई थी। iii) आँखों और चेहरे पर कई बार पेटिकल रक्तस्राव।

iv) गर्दन के दोनों ओर अर्धचंद्र घर्षण। v) गर्दन (उंगली) के दोनों तरफ चोट लगना और एक्किमोसिस होना।

निशान)।

vi) गले के आगे और बगल में स्वरयंत्र और मांसपेशियों में आँसू आना।

viii) दोनों फेफड़े उलझे हुए थे और भीड़भाड़ वाले थे। ix) दाहिना हृदय रक्त से फैला हुआ था जबकि बायां खाली था।

x) यकृत, प्लीहा और गुर्दे में पेटिकल रक्तस्राव।

5.8. 1 . यह गवाह पीडब्लू-8 डॉ. माधब के. राहंग ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा हैः -

" मैंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उंगली के निशानों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। खरोंच का निशान नाखून के निशान को दर्शाता है। श्वासनली एक अलग हिस्सा है और स्वरयंत्र एक अलग हिस्सा है। ट्राइकोइड हड्डी का अलग घटक होता है। मैंने हृदय धमनी को विच्छेदित नहीं किया था। मैंने हृदय की धमनियों का अवलोकन किया था; लेकिन कोई भी खोज का रिकॉर्ड नहीं था।

असामान्यता। यदि श्वासनली अवरुद्ध हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वेगास तंत्रिका के अवरुद्ध होने की स्थिति में मृत्यु हो सकती है। यह एक तथ्य नहीं है कि कैरोटिड तंत्रिका के विच्छेदन के बिना, यह नहीं हो सकता है पता लगाएँ कि वेगास का कोई दबाव था या नहीं। मैंने खोज देने के लिए गर्दन के किसी भी हिस्से को विच्छेदित नहीं किया है। का रंग

एक्किमोसिस का उल्लेख नहीं किया गया था।

यह एक तथ्य नहीं है कि इस तरह की मृत्यु एक ट्यूबवेल के हैंडल के बाहरी बल से या ट्यूबवेल पर गिरने वाली वस्तु के माध्यम से हो सकती है।

गर्दन। यह तथ्य नहीं है कि मृत्यु गला घोंटने से नहीं हुई थी। यह तथ्य नहीं है कि मैंने उचित निष्कर्ष नहीं दिया है। अपीलार्थी का रुख

6. धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत उनकी जांच में, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से दिखाई देने वाली परिस्थितियों को प्रस्तुत किया गया था

अपीलार्थी। जबकि उन्होंने अपनी पत्नी समीना की मृत्यु के लिए अपने कारण होने के आरोपों को झूठा बताते हुए इनकार किया और पीडब्लू-7, आईओ और पीडब्लू-8, डॉक्टर द्वारा किए गए दावों का भी खंडन किया, लेकिन फिर, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि समीना की अस्पताल में मृत्यु हो गई और उस मामले के लिए, उनके साथ अपनी सहमति व्यक्त की।

पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 द्वारा किए गए दावे। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि उसे बोराबाड़ा में गिरफ्तार किया गया था जहाँ वह [2022] 18 एस. सी. आर. के लिए दवाएँ लाने गया था।

एल्फ, क्योंकि वह उस समय बीमार था। अभियुक्त की गवाही में प्रासंगिक प्रश्न और उत्तर-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी ने कहाः -

*****

***

***

Q2 पीडब्लू1 अकबर अली मृतक के दादा हैं और

उनके अनुसार आपकी पत्नी समीना बीमारी से पीड़ित थी। एक अच्छी सुबह उन्होंने सुना कि आपकी पत्नी समीना को घर ले जाया गया है।

इसके बाद अस्पताल में उन्हें पता चला कि समीना की मौत हो गई है।

अस्पताल। इस संबंध में आपका क्या कहना है?

जवाबः हां, समीना की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

प्रश्न 3 पीडब्लू 2 सोफियर रहमान हैं और उनके साक्ष्य में कहा गया है कि घटनापूर्ण दिन वह एक साप्ताहिक बाजार में गया। दोपहर के समय वह आया।

घर वापस आया और सुना कि आपकी पत्नी समीना की मृत्यु हो गई है। वह वहाँ गया। अस्पताल में और वहाँ शव देखा था। आपको क्या करना है?

इस संबंध में क्या कहें?

जवाबः हां.

प्रश्न 4 पीडब्लू 3 बरेक अली है और उनके अनुसार समीना आपकी पत्नी है। जब वह बीमार पड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद वह आया।

इस संबंध में? उत्तर। हां.

***

***

क्यू5

***

क्यू6

***

***

***

क्यू7

***

***

***

प्रश्न 66 पीडब्लू 7 आई. ओ. का कहना है कि जब वह इस मामले के साथ आपके घर आई/सी गए तो आप वहां नहीं पाए गए। कोई भी व्यक्ति आपको यह नहीं बता सका कि आप कहाँ हैं। बाद में उसे पता चला कि आप थे आई. ओ. निजामपुर में घूमते हुए वहाँ गया और आपको निजामपुर की सड़क से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आपका क्या कहना है?

प्रश्न, हालांकि निरंतरता में संख्या 8, का उल्लेख एल में 'क्यू 6' के रूप में किया गया है।

एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उत्तर। मुझे पुलिस ने निजामपुर में नहीं बल्कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर बोराबाड़ा में गिरफ्तार किया था; मैं वहाँ दवाएँ लाने के लिए गया था।

जैसा कि मैं उस समय बीमार था।

****

***

***

6.1 . अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई सबूत देने से इनकार कर दिया और इसलिए, मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ा और अंततः, विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश 18.07.2013/25.07.2013।

निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कारावास

7. अभिलेख पर साक्ष्य की प्रमुख विशेषताओं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ अभियुक्त अपीलार्थी के रुख पर ध्यान देने के बाद, हम विचारण न्यायालय के निर्णय और उसके तर्क की प्रक्रिया के प्रासंगिक पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 7.1 . सबसे पहले, निचली अदालत ने मामले में निर्धारण की मांग करने वाले बिंदु पर ध्यान दिया, यानी कि "क्या आरोपी ने अपराध किया है।

घटनापूर्ण दिन यानी 22.10.2010, लगभग 12 बजे, जानबूझकर अपनी पत्नी समीना खातून की मौत का कारण बन कर हत्याः 00 दोपहर में, गाँव कुर्शापखरी भाग II (कुमारखाली) में उनके घर में? 7.2 . पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले पीडब्लू-8 की गवाही पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था, जो पूर्व-पोस्टमार्टम और हत्या की प्रकृति का था; और हालांकि बचाव पक्ष ने कुछ बिंदुओं पर पीडब्लू-8 की क्रॉस-जांच की थी, लेकिन इन निष्कर्षों को भटकाने में विफल रहा था। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः -

..... बचाव पक्ष ने किसी बिंदु पर इस डॉक्टर की जांच की; लेकिन यह इस मामले पर डॉक्टर के किसी भी निष्कर्ष को बाधित करने में विफल रहा है कि मृतक की मौत दम घुटने के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई थी। मैंने इस साक्ष्य की ओर गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया है और मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं हूं। यह थ्रॉटलिंग द्वारा किया गया था। अब सवाल यह है कि इस अपराध का लेखक कौन है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए, हमें अभिलेख पर साक्ष्य पर वापस लौटना होगा।

7.3 . इस सवाल पर आते हुए कि इस अपराध का लेखक कौन था, निचली अदालत ने पीडब्लू-1 की गवाही पर विचार करते हुए देखा कि हालांकि उसने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अपीलार्थी ने अपनी पोती की हत्या की थी, लेकिन अदालत [2022] 18 एस. सी. आर. में गवाही देते हुए उसने कुछ गलती की।

और कहा कि मानसिक रूप से अस्थिर होने के कारण, उन्होंने दूसरों के आदेशों के अनुसार काम किया और इस कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि इस गवाह ने पीड़ित की मृत्यु से पहले उसकी बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के बारे में रुख अपनाकर अभियोजन पक्ष की कहानी को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया। ट्रायल कोर्ट ने अनुमान लगाया कि यह गवाह स्पष्ट रूप से जीत गया था, विशेष रूप से जब उसका कथन पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के विपरीत चल रहा था

जाँच, जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़ित की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि अन्य (निजी) गवाहों ने कमोबेश एक ही तर्ज पर गवाही दी थी, कुछ अलग दिशाओं में हो सकते हैं; और बीमारी के कारण अस्पताल में पीड़ित की मृत्यु के बारे में उनके सुझाव को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाया, क्योंकि प्राथमिकी में प्रारंभिक संस्करण के साथ स्पष्ट विसंगति और बुनियादी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के अभाव के लिए भी।

7.4 . इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने पी. डब्ल्यू.-7 अनवर हुसैन की गवाही का विश्लेषण किया, जांच अधिकारी जिन्होंने दावा किया कि 22.10.2010 , एफ़. आई. आर. और शव एक साथ पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुए; कि उन्होंने जाँच की, जाँच रिपोर्ट तैयार की

7.5 . निचली अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलार्थी ने याचिका दायर की कि वह बीमार था। उस समय वह कुछ दवाएँ लेने के लिए निदानपुर गया था लेकिन पीडब्लू-7 को उसकी जेब में कोई दवा नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका और कुछ नहीं बल्कि एक लंगड़ा बहाना था; और यह कि अपीलार्थी यह भी निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि उसकी पत्नी को अस्पताल कौन ले गया, अगर वह बीमार पड़ गई थी।

7.6 . इस प्रकार, अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखने और आसपास के सभी कारकों की सराहना करने के बाद, निचली अदालत ने

यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष एम. डी. के अपराध को स्थापित करने में सक्षम था।

एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

किसी भी संदेह से परे विचाराधीन अपराध करने के लिए। ट्रायल कोर्ट की चींटी टिप्पणियों और निष्कर्षों को नीचे पढ़ा गया हैः -

" 16. अब, हम साक्ष्य के सबसे भौतिक भाग पर आते हैं। यहाँ, आई. ओ. ने अनिश्चित शब्दों में कहा है कि जब वह घटना स्थल पर गया था, तो उसे उस पर आरोपी नहीं मिला था। अन्य गवाहों के साक्ष्य से, यह किसी तरह सामने आता है

कि पीड़ित को सुबह अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि उसे किसने स्थानांतरित किया था। सभी गवाहों ने अलग-अलग दिशाओं में गवाही दी; लेकिन न्याय को पराजित होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, भले ही गवाहों द्वारा न्याय के मार्ग को पटरी से उतारने के सभी प्रयास किए जाएं। अब, पीडब्लू-7 के साक्ष्य की ओर लौटते हुए, यह पता चलता है कि उन्होंने इसके गायब होने के संबंध में पूछताछ की थी।

अभियुक्त अपने घर से; लेकिन कोई भी संतोषजनक प्रस्तुत नहीं कर सका

इस बात की जानकारी कि वह अपने घर से क्यों लापता था। इसके बाद, आई. ओ. को पता चला कि आरोपी था

निदानपुर में घूमना। वह तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचने पर उसने आरोपी को बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए पाया।

और वह, तुरंत, आरोपी को अपनी हिरासत में ले आया। तत्काल मामले में, किसी ने भी वास्तविक घटना नहीं देखी थी। चिकित्सीय साक्ष्यसँ ई पर्याप्त रूपसँ स्थापित भऽ गेल अछि जे अभियुक्तक मृतक/पत्नीक हत्या कऽ देल गेल छल। उसकी गर्दन थी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

17. जाँच रिपोर्ट Ext.2 से, ऐसा प्रतीत होता है कि आई. ओ. ने नोट किया है कि मृतक की गर्दन के चारों ओर जगह दिखाई दी थी और शरीर कठोर था। डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम करते हुए पाया कि पूरे शरीर पर कठोर शव मौजूद था। दोनों कान से खून भी बह रहा था। उन्होंने उभरी हुई जीभ का भी उल्लेख किया। आँखों और चेहरे पर कई पेटिकल रक्तस्राव देखे गए। गर्दन के दोनों तरफ कुछ चोट और इकिमोसिस भी पाए गए। यह तथ्य कि मृत्यु गला घोंटने के कार्य के कारण हुई थी, में प्रचुर मात्रा में स्थापित है

तत्काल मामला। आरोपी ने पूरे मुकदमे के दौरान अपना मुंह बंद रखा। रिकॉर्ड पर यह मानने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत हैं कि आरोपी व्यक्ति और पीड़ित दोनों एक ही घर में एक साथ रह रहे थे। मृतक की पत्नी की मौत हो गई। माता-पिता और घर के अन्य सदस्य सभी वहां मौजूद थे। किसी ने भी आरोपी को उसके गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में सूचित करना उचित नहीं समझा, अगर कभी इसमें कोई सच्चाई थी।

आरोपी ने इस मामले के बारे में विस्तार से नहीं बताया कि पीड़िता के बीमार होने के बाद उसे कौन अस्पताल ले गया। पूरा मामला चरणबद्ध तरीके से निपटाया गया है। इसमें अभियुक्तों की संलिप्तता

अपराध संदेह से परे है और रिकॉर्ड के सामने बड़ा लिखा जाता है। वह इधर-उधर कहीं और घूम रहा था। उन्होंने अपनी जांच में यू/एस 313 Cr.P.C के तहत याचिका दायर की कि वह उस समय बीमार थे। इसलिए, वह कुछ दवाएँ लेने के लिए निदानपुर गए। लेकिन आई. ओ. को अपनी जेब में कोई दवा नहीं मिली थी। यह दलील भी एक लंगड़ा बहाना बनी हुई है। बस इस जघन्य अपराध से त्वचा को बचाने के लिए, आरोपी ने ऐसी याचिका दायर की है। उनकी पत्नी की मृत्यु एक अप्राकृतिक स्थिति में हुई। वह अडिग रहा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश नहीं डाला कि उनकी मृत्यु से पहले क्या हुआ था। अभियुक्त का पूरे मामले में मौन रहना अच्छा नहीं रहा। दम घुटने से मौत हुई है। अभियुक्त को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उस समय हुआ था। उसकी माँ, पूरे रास्ते के दौरान, उसके दोषी विवेक की ओर इशारा करती है। अपने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य के समग्र विश्लेषण पर, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश है कि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए अभियुक्त के अपराध को सभी संदेहों से परे स्थापित करने में सक्षम रहा है। अतः अभियुक्त को दोषी पाया जाता है और वह है

तदनुसार दोषी ठहराया गया। "

7.7 . सजा के सवाल पर सुनवाई के समय, निचली अदालत ने आरोपी की ओर से एक आवेदन पर ध्यान दिया-पुनः अपील के लिए अपीलकर्ता

पी. डब्ल्यू.-8 की जाँच करते हुए, डॉक्टर अपने बयान में होने वाले कुछ भावों के सुधार के लिए पोस्टमॉर्टम कर रहा है। विचारण न्यायालय ने पाया कि मृत्यु के कारण के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर ऐसी अभिव्यक्तियों का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है। निचली अदालत के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की ओर से कोई पुरुष अधिकार नहीं था और अपराध को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, इस प्रस्तुतिकरण को समग्र रूप से देखते हुए निचली अदालत द्वारा अस्वीकार्य पाया गया था

पीड़ित की मृत्यु के कारण और अपीलार्थी के आचरण सहित परिस्थितियाँ, जहाँ वह घर से भाग गया और अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अंत में, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 25.07.2013 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना। 5,000 / - डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ। विचारण न्यायालय की सुसंगत टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं: -

" 22. मैंने बहुत ध्यान से मामले के रिकॉर्ड को देखा है और एम. डी. पर विद्वान वकील की प्रस्तुति को ध्यान में रखा है।

एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस मामले में कि यदि अभियुक्त को कभी दोषी ठहराया जाता है, तो उसे धारा 304 (2) के तहत सजा दी जानी चाहिए; लेकिन मैं इस मामले पर सहमत नहीं हूं। यह मानने के लिए अभिलेख पर प्रचुर प्रमाण हैं कि यह एक अप्राकृतिक मृत्यु थी। गला घोंटने के प्रभाव से मौत हुई और ऐसा हुआ

अभियुक्त के घर में। लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गए।

विभिन्न दलीलों पर न्यायालय को भ्रमित करना। उनमें से कुछ ने दलील दी कि पीड़ित की मौत जहर के सेवन से हुई, अन्य ने दलील दी कि वह बीमारियों से पीड़ित थी; लेकिन उस बिंदु पर रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। बल्कि अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण पर इस तरह से सामने आए साक्ष्य इस तथ्य के लिए उचित हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि आरोपी था जिसने अपने घर में अपनी पत्नी की मौत का कारण बना और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद वह वहां से भाग गया और उस क्षेत्र यानी निदानपुर में घूम रहा था, जहां आखिरकार पुलिस ने उसका पता लगाया और उसे घेर लिया। द. अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत अपराध करने के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में सफल रहा है। कोई शमन नहीं है

अभियुक्त के पक्ष में नरमी से निपटने की परिस्थिति, अपराध को किसी अन्य धारा तक कम करने के लिए। अभिलेख पर प्रचुर प्रमाण मिलने के बाद, इस अदालत ने उसे आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 5,000 / - , आई/डी को तीन महीने तक आर. आई. से पीड़ित रहना होगा। "

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

8. उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की आपराधिक अपील संख्या 100 (जे) के रूप में एक आपराधिक अपील दायर की, जिस पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विचार किया और खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय अपने विवादित निर्णय और दिनांक 19.08.2016 के आदेश द्वारा।

8.1 . उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पोस्टमॉर्टम परीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ इस तथ्य पर भी भरोसा करते हुए अपीलार्थी को दोषी ठहराया था कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के संबंध में कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने

साक्ष्य की आवश्यक विशेषताओं पर फिर से ध्यान दिया और विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया कि जाँच रिपोर्ट (उदा. 2) पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-3 और पी. डब्ल्यू.-4 के हस्ताक्षरों के साथ पुलिस थाने में ही तैयार किया गया था। कहानी जैसा कि इन और अन्य निजी [2022] 18 एस. सी. आर. द्वारा सामने रखी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीमारी के कारण अस्पताल में समीना की मृत्यु के बारे में गवाहों को इस तथ्य के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था कि उस संबंध में कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं था और इसके विपरीत, पोस्टमॉर्टम परीक्षा रिपोर्ट (एक्स। 4) इस कहानी को गलत बताया कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि यदि समीना की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, तो उपरोक्त गवाहों के लिए उसके शव को पुलिस स्टेशन ले जाने का कोई अवसर नहीं था।

8.2 . ऐसा कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने त्रिमुख मारौती किरकान बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया। महाराष्ट्र राज्यः (2006) 10

एस. सी. सी. 681, इस सिद्धांत पर कि जब अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली परिस्थितियों को रखा जाता है और अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसका स्पष्टीकरण असत्य पाया जाता है, तो यह उसके खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, जब अपीलकर्ता और उसकी पत्नी एक साथ रह रहे थे और अपीलकर्ता-पति अपनी पत्नी की हत्या के बारे में प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे और उसके संबंध में कोई सबूत नहीं था

कथित बीमारी या अस्पताल में मृत्यु, यह एक मजबूत परिस्थिति थी कि वह अकेले अपराध के लिए जिम्मेदार था। 8.3 . इसलिए उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील को खारिज कर दियाः -

" 9. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अकबर अली (पीडब्लू-1) न केवल समीना के शव को पुलिस स्टेशन ले गया, बल्कि उसने यह आरोप लगाते हुए इजहार भी कराया कि अपीलार्थी ने उसे यातना देकर मार दिया था। और पुलिस में स्टेशन स्वयं, जाँच अधिकारी अनवर हुसैन (पीडब्लू-7) ने जाँच रिपोर्ट में शव पर 2 को प्रदर्शित किया, जिस पर शव भी है।

अकबर अली (पीडब्लू-1), बरेक अली (पीडब्लू-3) और सुकुम अली (पीडब्लू-4) के हस्ताक्षर। लेकिन मुकदमे के दौरान, इन सभी गवाहों ने अपना बयान बदल दिया और बयान दिया कि समीना की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई। ऐसा, शायद, उन्होंने अपीलार्थी के साथ अपने संबंधों के कारण किया। दिलबर हुसैन (पीडब्लू-5) और मुस्त का भी यही प्रमाण है। मोइम्मा बेउवा (पीडब्लू-6)। उन्होंने भी गवाही दी है कि समीना की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई। लेकिन, अपीलार्थी द्वारा बचाव में किसी भी अस्पताल का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था जिससे यह भी पता चले कि समीना की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इसके विपरीत, डॉ. माधब कुमार रहंग (पीडब्लू 8) की पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट अपीलार्थी के बचाव को पूरी तरह से गलत साबित करती है कि समीना की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। इतना ही नहीं, अनवर हुसैन (पीडब्लू-7) ने

समीना एम. डी. के शव पर उस जाँच रिपोर्ट की स्पष्ट रूप से गवाही दी।

पुलिस स्टेशन में बनाया गया था, जिस पर अकबर अली, बरेक अली और सुकुम अली के हस्ताक्षर हैं। इन गवाहों ने जाँच रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया है। यदि समीना की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो जाती, तो अकबर अली, बरेक अली और सुकुम अली के लिए उसके शव को पुलिस स्टेशन ले जाने का कोई अवसर नहीं था।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एस. सी. सी. 681 के मामले में फिर से इस सुविचारित सिद्धांत को मंजूरी दी है कि जब अभियुक्त के सामने कोई आपत्तिजनक परिस्थिति रखी जाती है और वह अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या कोई स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तो वह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि जहां एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए प्रमुख साक्ष्य देने में सफल होता है कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध उस आवास में होता है जहां पति भी सामान्य रूप से रहता था और यदि पति कोई पेशकश नहीं करता है।

समझाएँ कि पत्नी को कैसे चोटें आईं या एक स्पष्टीकरण देता है जो गलत पाया जाता है, यह एक मजबूत परिस्थिति थी

कि अपराध करने के लिए अकेले वह जिम्मेदार था।

11. अपीलार्थी ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि घटना के समय समीना उसी घर में उसके साथ रहती थी। समीना की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई और उसकी मृत्यु प्रकृति में हत्या थी। अन्य चोटों के अलावा उसकी गर्दन के आसपास भी चोटें थीं। अपीलार्थी द्वारा उसकी हत्या के संबंध में कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह इस बात के सबूत भी पेश नहीं कर पाए हैं कि वह किसी बीमारी से पीड़ित थीं या अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।

बीमारी के लिए।

12. इसलिए हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिका यह है कि

तदनुसार खारिज कर दिया गया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

9. उपरोक्त निर्णय और आदेश का निर्धारण करने के लिए विद्वान वकील

अपीलार्थी ने यह तर्क देने के लिए कई प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की हैं कि लैंट को कानूनी साक्ष्य पर नहीं बल्कि केवल संदेह पर दोषी ठहराया गया है।

एड वकील का तर्क होगा कि अभियोजन पक्ष का मामला वास्तविक साक्ष्य पर आधारित है, लेकिन केवल परिस्थितियों पर [2022] 18 एस. सी. आर. द्वारा भरोसा किया गया है।

न्यायालय चिकित्सकीय राय के होते हैं और गैर-स्पष्टीकरण या कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा गलत स्पष्टीकरण। विद्वान वकील के अनुसार, ये परिस्थितियाँ अपीलार्थी के अपराध पर उचित संदेह से परे निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती हैं।

9.1 . विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की तारीख संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि, संस्करण के अनुसार

पीडब्लू-7 जांच अधिकारी के मामले में, उन्हें 24.10.2010 पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी ज्ञापन से पता चलता है कि उन्हें 22.10.2010 पर गिरफ्तार किया गया था और फिर, उक्त तिथि को आसानी से 23.10.2010 में बदल दिया गया था और उसी का विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 24.10.2010 पर समर्थन किया गया था।

9.2 . विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि इस मामले में घटना का स्थान साबित नहीं हुआ है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने केवल इस पर भरोसा किया है

पीडब्लू-7 का साक्ष्य कि उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और स्थल का नक्शा तैयार किया था, लेकिन केस डायरी में इस बात का कोई सीधा उल्लेख नहीं है कि वह वहाँ कैसे पहुँचा; और फिर, पूर्व। 3 (स्थल योजना) आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं थी। भले ही सत्र न्यायालय के समक्ष एक आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन इसे केवल यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि बचाव पक्ष इस बात से संतुष्ट होने में विफल रहा था कि इस भौतिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया गया। विद्वान वकील ने आगे कहा है कि पीडब्लू

9.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे जोर देकर प्रस्तुत किया है कि सभी स्वतंत्र गवाहों, पीडब्लू1 से पीडब्लू6 ने एक स्वर में कहा है कि मृतक की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई, और इस तरह अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया; और न ही अभियोजन पक्ष ने। उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया और न ही क्रॉस-यह साबित करने के लिए उनकी जाँच की कि वे थे

झूठ बोलना या जीत लिया गया।

9.4 . जाँच रिपोर्ट से संबंधित साक्ष्य का दावा करते हुए (उदा. 2), विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शव को किस स्थान से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था; न तो पीडब्लू-1 ने ऐसा कोई तथ्य बताया है और न ही आईओ पीडब्लू-7 ने उस स्थान के बारे में बात की है जहाँ से शव को ले जाया गया था। यह

मामला। 9.5 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने शरद बर्डीहिचंद सारदा बनाम में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में आगे तर्क दिया है।

महाराष्ट्र राज्यः (1984) 4 एस. सी. सी. 116 ने कहा कि न्यायालयों को एम. डी. नहीं करना चाहिए।

9.6 . इसके अलावा, गार्गी बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए। हरियाणा राज्यः (2019) 9 एस. सी. सी. 738; शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम। महाराष्ट्र राज्यः (2021) 3 स्केल 384; सत्य सिंह और अन्न। वी. उत्तराखंड राज्यः (2022) 3 स्केल 534; और नागेंद्र साह (ऊपर), यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत तथाकथित गैर-स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण की असत्यता,

स्वयं, दृढ़ विश्वास का आधार नहीं हो सकता है।

9.7 . विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार

मामले में, मृतक को अपीलार्थी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया था, लेकिन इस आरोप के सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष को कथित घटना के पीछे के उद्देश्य को साबित करना चाहिए था; और शिवाजी चिंताप्पा पाटिल (उपरोक्त) के साथ-साथ अनवर अली और अन्न पर भी भरोसा करना चाहिए था। वी. हिमाचल राज्यः (2020) 10 एस. सी. सी. 166 और नंदू सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़): 2022 की आपराधिक अपील संख्या 285,25.02.2022 पर निर्णय लिया गया है, यह तर्क दिया गया है कि उद्देश्य साबित नहीं हुआ है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि अस्थिर बनी हुई है।

9.8 . विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि दो विचार संभव हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में पाया गया है, तो पक्ष में दृष्टिकोण

जोस एलियास पाप्पचन बनाम में इस तरह के कुछ निर्णयों पर भरोसा रखते हुए अभियुक्त (इसमें अपीलार्थी) को स्वीकार किया जाना चाहिए। उप-पुलिस निरीक्षक, कोयिलैंडी और अन्न। : 2016 (10) एससीसी 519। विद्वान वकील ने सरवन सिंह बनाम में भी निर्णय का उल्लेख किया है। पंजाब राज्यः ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637 प्रस्तुत करता है कि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता है।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने प्रासंगिक प्रस्तुत किया है

साक्ष्य और परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे स्थापित की गई हैं ताकि परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा किया जा सके और अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना को खारिज किया जा सके। 10.1 . प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. 4) पीडब्लू-8 के बयान और जांच रिपोर्ट (उदा. 2) यह प्रस्तुत करते हुए कि पूर्व-शव परीक्षण [2022] 18 एस. सी. आर. थे।

मृतक के शरीर पर चोटें आईं और मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था। इसके अलावा, पीडब्लू 7 की गवाही पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी घटना के बाद फरार था और उसे दो दिनों के बाद एक अलग स्थान से गिरफ्तार किया गया था; और यह कि अपीलार्थी अपनी बहाना याचिका को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि वह बीमार था और दवा खरीदने गया था।

10.2 . प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने जबरदस्ती प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया गलत स्पष्टीकरण कि उसकी पत्नी की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई, परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है, क्योंकि अपीलार्थी यह साबित करने के लिए कि उसकी पत्नी की वास्तव में अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, मृतक के उपचार या छुट्टी/मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित अस्पताल के रिकॉर्ड का कोई सबूत देने में विफल रहा। इस संबंध में, त्रिमुक मारौती किरकान बनाम में उक्त निर्णय पर भरोसा रखा गया है। महाराष्ट्र राज्यः (2006) 10 एससीसी 681।

10.3 . विद्वान वकील ने आगे कहा है कि यदि पीड़ित की मृत्यु किसी बीमारी के कारण और/या अस्पताल में हुई होगी,

उसके मृत शरीर को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया होगा और न ही जांच में चोटों का पता चला होगा जैसा कि जांच रिपोर्ट में बताया गया है। 2)। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, जब अपराध वैवाहिक गृह में किया गया है जहां अपीलार्थी और

10.4 . प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने फिर से त्रिमुक मारौती किरकान (ऊपर) पर भरोसा किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जब अपराध किसी घर की सीमा में किया जाता है, हालांकि प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य एम. डी. के अन्य मामलों में आवश्यक है।

एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सबूत। विद्वान वकील ने कई अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जैसे अल्बेर ओरॉन बनाम। झारखंड राज्यः (2014) 12 एस. सी. सी. 303 और

सुद्रु वी। छत्तीसगढ़ राज्यः (2019) 8 एससीसी 333।

10.5 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने उज्जागर सिंह बनाम पर भरोसा रखा है। पंजाब राज्यः (2007) 13 एससीसी 90 और विवेक

कालरा बनाम। राजस्थान राज्यः (2014) 12 एस. सी. सी. 439 में कहा गया है कि जहां परिस्थितियों की श्रृंखला उचित संदेह से परे स्थापित करती है कि यह आरोपी है जिसने अपराध किया है, अदालत आरोपी को दोषमुक्त करने के उद्देश्य के अभाव को नहीं मान सकती है।

10.6 . विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति को देखते हुए, यह तर्क है कि

घटना के बाद अपीलार्थी की गिरफ्तारी संदिग्ध है, जिसका कोई आधार नहीं है। विद्वान वकील ने इस तर्क का खंडन किया है कि घटना का स्थान साबित नहीं हुआ है। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-7 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि प्राथमिकी प्राप्त करने के बाद, उसने पुलिस स्टेशन में ही जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसे चार व्यक्तियों ने देखा और उसके बाद, उसने घटना स्थल का दौरा किया, गवाहों की जांच की और स्थल योजना तैयार की (उदा. 3) घटना का स्थान और उस पर हस्ताक्षर किए गए। पीडब्लू-7 ने यह भी बयान दिया कि उसे घटना स्थल पर अपीलकर्ता नहीं मिला और उसे केवल 24.10.2010 पर निदानपुर बाजार से गिरफ्तार किया जा सकता है। विद्वान वकील ने

आगे प्रस्तुत किया कि स्थल मानचित्र, बिंदु 'का' पर, स्पष्ट रूप से घटना के स्थान को अपीलार्थी का घर होने का संकेत देता है। यद्यपि आरोप-पत्र के साथ न होने वाली स्थल योजना की आपत्ति बचाव पक्ष द्वारा ली गई है, लेकिन यह देखा गया है कि यह साक्ष्य में विधिवत प्रदर्शित किया गया है और अदालतों के समक्ष मूल रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा, जांच अधिकारी ने अपने क्रूस में घटना के स्थान का स्पष्ट रूप से वर्णन किया

जाँच। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, पूर्व को आपत्ति। 3 विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अपीलार्थी और मृतक एक ही घर में एक साथ रहते थे और मृतक की मृत्यु घर के अंदर हुई थी, सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

10.7 . समापन करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वकील-राज्य ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला साक्ष्य प्राप्त करने का है, जिसके पास है

दोनों न्यायालयों द्वारा, अपीलार्थी के अपराध के संबंध में समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज करते समय, उसकी मृत पत्नी की हत्या करने में विधिवत विचार किया गया और इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन अपीलों का दायरा और विस्तार

11. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस मामले में निष्कर्षों को समवर्ती रूप से दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष सक्षम है

परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने से एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या के अपराध का दोषी है। अपीलार्थी के दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाले समवर्ती निष्कर्षों को इस अपील में चुनौती दी गई है जैसे कि इसकी सामग्री और इसके आसपास के कारकों पर पूरे साक्ष्य की पुनः प्रशंसा को आमंत्रित करना। यद्यपि विशेष अनुमति द्वारा अपील में मामलों की जांच करने के मानदंड

इस मामले में किए गए प्रस्तुतिकरण, हम उपयोगी रूप से पप्पु बनाम के मामले में टिप्पणियों को दोहराते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यः 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 176, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 और उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के साथ-साथ संबंधित निर्णयों के विस्तृत संदर्भ का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने एक नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में सूक्ष्म अंतर का सारांश निम्नलिखित में दिया हैः शब्दः -

" 20 ..... विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए किसी अन्य मंच के रूप में निपटाया जा सकता है। बेशक, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से दूषित कहा जा सकता है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हो सकता है, तो यह न्यायालय गंभीर या गंभीर होने से रोकने के लिए उचित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। न्याय की विफलता लेकिन, इस तरह के पाठ्यक्रम को केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में अपनाया जाता है। संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है। यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनः प्रशंसा करेगा ताकि इससे अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।

विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित।

11.1 . उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम जांच कर सकते हैं कि क्या समवर्ती निष्कर्ष इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं जबकि एम. डी.

यह दोहराते हुए कि साक्ष्य का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन इस अपील के दायरे में नहीं है, भले ही हमने पहले की गई दलीलों से उचित रूप से निपटने के लिए पूरे साक्ष्य की जांच की है। हमें।

इस मामले में लागू सिद्धांत

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियां और खामियां थीं और चिकित्सा साक्ष्य और अपीलार्थी के स्पष्टीकरण की तथाकथित असत्यता सहित निर्भर कारक उन परिस्थितियों में ऐसे संबंध प्रदान नहीं कर रहे हैं जो अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्ष का कारण बन सकते हैं। इस तरह की प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान, हम उपयोगी रूप से इस मामले में लागू बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं, जो प्रासंगिक उद्धृत निर्णयों से ध्यान देने योग्य हैं। 12.1 . शरद बर्डीहिचंद सारदा (उपरोक्त) के मामले में बताए गए और प्रतिपादित सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण के संबंध में न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। इसमें, इस न्यायालय ने हनुमंत के मामले में प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख किया

वी. मध्य प्रदेश राज्यः ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को साबित करने के पांच सुनहरे सिद्धांतों का अनुमान लगाया। निम्नलिखित शर्तें हैंः

“ 152 .... महाजन, जे. को निकालना उपयोगी हो सकता है।

हनुमंत के मामले में कहा गया हैः

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अभियुक्त की निर्दोषता और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य किया गया होगा। अभियुक्त द्वारा "।

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इसे पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचने के लिए पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" हो सकती हैं

स्थापित किया गया। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था। की स्थिति

महाराष्ट्र 'जहाँ अवलोकन किए गए थेः

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है।

और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करता है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त

दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और प्रवृत्ति,

(4) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए

सिद्ध करने के लिए और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि छोड़ न जाए

के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मनुष्यों में

संभावना है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. यदि हम ऐसा कहें तो ये पाँच सुनहरे सिद्धांत हैं -

परिस्थितिजन्य आधार पर किसी मामले के प्रमाण की पंचशील

सबूत।

155. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक आपराधिक मामले में सबूत के तरीके के संबंध में, एक कार्पस डिलिक्टि के अभाव में, उसी के सबूत के रूप में कानून का बयान ग्रेसन, जे. (और 3 द्वारा सहमति व्यक्त की गई) द्वारा निर्धारित किया गया था।

अधिक न्यायाधीश) राजा v. हॉरी [1952 NZLR 111] इस प्रकारः

" इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मौत के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को अंजाम देती हैं।

3) 2 एससीसी 793।

एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

नैतिक रूप से निश्चित हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ते हैंः द. परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस और सम्मोहक होना चाहिए कि

एक जूरी को यह समझाने के लिए कि इसके अलावा कोई तर्कसंगत परिकल्पना नहीं है

हत्या के तथ्यों का हिसाब लगाया जा सकता है।

156. लॉर्ड गोडार्ड ने "नैतिक रूप से" अभिव्यक्ति को थोड़ा संशोधित किया। कुछ "द्वारा" ऐसी परिस्थितियाँ जो आयोग को प्रस्तुत करती हैं

अपराध निश्चित "।

157. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है।

कि एक मामले को केवल तभी साबित कहा जा सकता है जब निश्चित हो

और स्पष्ट साक्ष्य और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है नैतिक विश्वास।

9999

12.1. 1 . यह ध्यान देना भी उचित और उपयोगी है कि उक्त मामले में

और बर्डीहिचंद सारदा, इस न्यायालय ने भी सिद्धांतों को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत व्याख्या या गलत बचाव के रूप में व्यक्त किया

परिस्थितियों की श्रृंखला को निम्नलिखित शब्दों में कहेंः -

उसके इस तर्क का पूरक है कि यदि बचाव पक्ष का मामला गलत है तो यह होगा अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करें

मामला।

159. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए

स्पष्टीकरण या गलत स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति ने माना कि यह होगा

श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होने की राशि लेकिन ये

इस न्यायालय ने जो कहा, उसके आलोक में टिप्पणियों को पढ़ा जाना चाहिए।

इससे पहले। इससे पहले कि एक गलत व्याख्या का उपयोग अतिरिक्त के रूप में किया जा सके

लिंक, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक

संतोषजनक रूप से साबित किया गया है,

(2) उक्त परिस्थिति अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है

उचित निश्चितता के साथ, और

(3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट होती है।

160. यदि इन शर्तों को केवल तब पूरा किया जाता है तो एक अदालत का उपयोग कर सकती है

ऋण देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या गलत बचाव न्यायालय को आश्वासन और अन्यथा नहीं।

1955 एससी 801: (1955) 2 एस. सी. आर. 570,582: 1955 क्री एलजे 1647।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.2 . बालाजी गुंथू धुले (उपरोक्त) के मामले में, जहां उच्च न्यायालय ने कथित चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोषसिद्धि दर्ज करते समय मुख्य रूप से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़ा, इस न्यायालय ने इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दी, जबकि निर्दिष्ट पैराग्राफ में निम्नानुसार टिप्पणी की गईः

" 9. उच्च न्यायालय ने डॉक्टर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है। हमारी राय में, चूंकि चश्मदीद गवाहों के पूरे साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए उसे दोषी ठहराने के लिए केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी।

12.3 . गार्गी (उपर्युक्त) के मामले में, जहां अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से दोनों न्यायालयों द्वारा अपने पति की हत्या का दोषी ठहराया गया था

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संचालन के संदर्भ में, इस न्यायालय ने बताया कि यह प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में अभियोजन को उसके प्राथमिक बोझ से मुक्त नहीं करता हैः -

" 33.1 . जहाँ तक "अंतिम देखे गए सिद्धांत" का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। मृतक और एक ही छत के नीचे रहने वाला, अंतिम व्यक्ति था

मृतक के साथ देखा गया था। तथापि, मृतक और अपीलार्थी के इस तरह के साहचर्य का अपने आप में यह अर्थ नहीं है कि अपीलार्थी के अपराध का अनुमान लगाया जाना चाहिए। मुकदमे की सुनवाई

अदालत और उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सीधे अपीलार्थी के खिलाफ काम करती है। हमारे विचार में, इस तरह का दृष्टिकोण भी त्रुटि से मुक्त नहीं रहा है जहां यह माना जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 इसके अभियोजन को दोषमुक्त नहीं करती है। प्राथमिक बोझ।

12.4 . शिवाजी चिंतप्पा पाटिल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने इन सिद्धांतों को दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में ऐसा नहीं है।

प्राथमिक भार के निर्वहन के अभियोजन को दोषमुक्त करता है; और धारा 313 के तहत बयान में स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण की असत्यता की कमी का उपयोग केवल एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष ने अन्य परिस्थितियों को साबित कर दिया है जिससे कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन आरोपी के अपराध के लिए। उस मामले में, एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना था, लेकिन माना जाता है कि पीड़ित के शरीर पर कोई निशान नहीं थे जो हिंसा या संघर्ष का संकेत दे सकते थे; और एम. डी.

चिकित्सा विशेषज्ञ ने स्वयं आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की और कहाः -

" 22. ..... साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 दोषमुक्त नहीं करती है

अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे है। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष ने सबूत का नेतृत्व किया है जो, यदि माना जाता है, तो एक

दोषसिद्धि, या जो एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, कि प्रश्न उन तथ्यों पर विचार करने से उत्पन्न होता है जिनके प्रमाण का भार होगा

अभियुक्त पर।

***

***

*

**

24. अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई एक अन्य परिस्थिति यह है कि अपीलार्थी अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा

धारा 313 Cr.P.C. अब तक यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, कि

गलत व्याख्या या गैर-व्याख्या का उपयोग केवल एक के रूप में किया जा सकता है

अतिरिक्त परिस्थिति, जब अभियोजन पक्ष ने श्रृंखला साबित कर दी हो

अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का

अभियुक्त। हालाँकि, इसे पूरा करने के लिए एक कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है

चेन। इस संबंध में निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

यह न्यायालय शरद बर्दीहिचंद सारदा (ऊपर) में है।

12.5 . सत्य सिंह (ऊपर) में, जहां अभियोजन पक्ष विफल रहा

अभियुक्त के खिलाफ बुनियादी तथ्यों को साबित करते हुए, इस न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य से अभियोजन को निम्नानुसार मुक्त नहीं करती हैः -

" 15 ..... अदालत की राय है कि अभियोजन पक्ष ने बुरी तरह से परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा जो

निर्विवाद रूप से निष्कर्ष निकालें कि कथित कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया था

केवल और कोई नहीं। विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने रिलायंस की स्थापना की

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर राज्य के लिए भी गलत है,

क्योंकि धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन को राहत देना नहीं है।

अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से।

12.6 . नागेंद्र साह (ऊपर) के मामले में, प्रासंगिक

पृष्ठभूमि पहलू यह था कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई थी 18.11.2011 पर, अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण हाथ से गर्दन के चारों ओर दबाव और कुंद पदार्थ के कारण दम घुटना था। बाद में, आई. डी. 1 तक देर से, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए एफ़. आई. आर. दर्ज की गई और अंततः, अपीलार्थी पर [2022] 18 एस. सी. आर. का मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा302 और 201 के तहत अपराध। हालाँकि, इस न्यायालय ने इन कारकों पर ध्यान दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था; कि आधिकारिक गवाहों के अलावा कोई भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता था; कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थी और मृतक के बीच संबंध किसी भी तरह से तनावपूर्ण थे; और यह कि अपीलार्थी उस घर में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था जहां घटना हुई थी। यह न्यायालय, इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्थापित तथ्य अपीलार्थी के अपराध की केवल एक परिकल्पना के अनुरूप नहीं थे। ऐसी पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित नहीं हो सकती थी और जब अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बोझ को निर्वहन करने में अभियुक्त की विफलता बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थी। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित कियाः -

" 22. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो विशेष प्रावधान के भीतर हैं।

अभियुक्त की जानकारी। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो अदालत हमेशा एक उचित निष्कर्ष निकाल सकती है।

23. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, यदि अभियुक्त निष्पादन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर उस पर डाला गया बोझ, ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा शासित मामले में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित नहीं की जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत बोझ का निर्वहन करने में अभियुक्त की विफलता बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। जब श्रृंखला पूरी नहीं होती है, तो झूठ

बचाव पक्ष अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है।

24. जैसा कि हम इस मामले में पहले ही कह चुके हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों से अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध के संबंध में केवल एक ही संभावित निष्कर्ष नहीं निकलता है। 25. इसलिए, विचार के लिए जो बचा है वह केवल उस चिकित्सक की राय है जिसने शव परीक्षण किया और मृत्यु के कारण पर एक रिपोर्ट दी। जैसा कि बालाजी गुंथू धुले में आयोजित किया गया है,

(2012) 11 एस. सी. सी. 685 (जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है)।

एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सका

धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है

आई. पी. सी. और परिणामस्वरूप धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए 201 आईपीसी.

26. इसके अलावा, द्वारा रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं लाया गया है

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के लिए अभियोजन।

हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 18-11-2011 पर उपलब्ध थी, पहले

सूचना रिपोर्ट 25-8-2012 पर देर से दर्ज की गई थी।

27. इसलिए, हमारा विचार है कि अपराध

अभियुक्त को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है।

12.7 . त्रिमुख मरोटी किरकान (ऊपर) का मामला, जिस पर भरोसा किया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भित कम से कम एक महत्वपूर्ण विशेषता वर्तमान मामले के समान है। इसमें, आरोपी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था; आरोपी-पति द्वारा मृतक-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था; और हालाँकि पीड़ित की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जानकारी उसके माता-पिता को यह बताया गया कि उसकी मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई थी और गाँव के सभी लोगों को यह भी बताया गया था कि मृतक की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई थी। मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संचालन और अभियुक्त द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण के अभाव या गलत स्पष्टीकरण देने के प्रभाव को निम्नलिखित अंशों में उजागर कियाः -

" 12. हाथ में मामले में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सामान्य सिद्धांत

यह है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का अनुमान लगाया जाता है

खींचने के लिए ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; कि वे

परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है

अभियुक्त के अपराध की ओर; कि ली गई परिस्थितियाँ

संचयी रूप से एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि कोई नहीं है

इस निष्कर्ष से बचने के लिए कि सभी मानव संभावना के भीतर

के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण का अभियुक्त और उनकी बेगुनाही के साथ असंगत।

***

***

14. यदि कोई अपराध किसी घर की गोपनीयता के भीतर और अंदर होता है

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हमलावरों के पास पूरा अवसर होता है

समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाना और उसे करना।

उनकी पसंद के अनुसार, अभियोजन पक्ष के लिए यह बेहद मुश्किल होगा कि अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करें यदि सख्त

जैसा कि ऊपर देखा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। अदालतों द्वारा। एक न्यायाधीश आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है।

अरिजीत पसायत, जे. द्वारा राज्य में अनुमोदन के साथ उद्धृत पंजाब बनाम. करनैल सिंह "1.) कानून किसी कर्तव्य का आदेश नहीं देता है

अभियोजन पक्ष ने ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व किया जो लगभग

नेतृत्व करना असंभव है या किसी भी तरह से नेतृत्व करना बेहद मुश्किल है। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य इस तरह के साक्ष्य का नेतृत्व करना है जो यह है

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करने में सक्षम

मामले से। यहाँ धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है।

साक्ष्य अधिनियम जो कहता है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से

किसी भी व्यक्ति के ज्ञान के भीतर, यह साबित करने का बोझ कि

तथ्य उसके ऊपर है।

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध गुप्त रूप से किया जाता है। एक घर, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ निस्संदेह होगा

अभियोजन पक्ष पर निर्भर हो, लेकिन सबूत की प्रकृति और मात्रा आरोप स्थापित करने के लिए इसके नेतृत्व में होना समान डिग्री का नहीं हो सकता है

जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। द.

बोझ तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। इसे ध्यान में रखते हुए

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 एक संबंधित होगी

घर के कैदियों पर एक ठोस स्पष्टीकरण देने का बोझ

अपराध कैसे किया गया था। घर के रहने वाले

बस चुप रहने और ना कहने से दूर नहीं हो सकते

इस कथित आधार पर स्पष्टीकरण कि बोझ स्थापित करने के लिए इसका मामला पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है और इसमें कोई कर्तव्य नहीं है

यह सब किसी भी स्पष्टीकरण की पेशकश करने के लिए एक आरोपी पर निर्भर करता है।

***

***

***

21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में जहां नहीं

प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध है, कानून का एक और सिद्धांत है

4 ए. सी. 325: (1944) 2 सभी ईआर 13 (एचएल)। (3) 11 एससीसी 271: 2004 एससीसी (सीआरआई) 135।

जिसे ध्यान में रखना चाहिए। सिद्धांत यह है कि जब एक

अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या एक स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तो वह एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है

इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला। यह दृश्य है इस न्यायालय के कई निर्णयों में लिया गया है।

12.8 . सुद्दु (सुप्रा) का मामला वह था जहाँ

अपीलार्थी पर अपने घर में अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया था और अपीलार्थी की पत्नी सहित प्रमुख अभियोजन गवाह अभियोजन पक्ष के खिलाफ हो गए, लेकिन उनकी गवाही से तथ्य सामने आए कि मृतक अपीलार्थी के साथ अकेला रह गया था और अगले दिन मृतक मृत पाया गया। मामले की मुख्य विशेषताओं और धारा 106 की आवश्यकताओं के संचालन पर ध्यान देना साक्ष्य अधिनियम, इस न्यायालय ने एक शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य के प्रासंगिक भाग पर विचार करने और अभियुक्त की ओर से अपना बोझ उठाने में विफलता के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" 6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में सभी गवाह जो संबंधित हैं अभियुक्त और मृतक शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। पीडब्लू 1 जानकी

अपीलार्थी की पत्नी और मृतक की माँ बाई ने भी शत्रुतापूर्ण हो गया। हालाँकि, अब तक यह कानून का तय सिद्धांत है,

कि एक शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य का ऐसा हिस्सा जो पाया जाता है

विश्वसनीय होने पर विचार किया जा सकता है और यह नहीं है पूरे साक्ष्य को त्यागना आवश्यक है।

***

***

***

" 8. मामले के इस दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने के बाद

उपरोक्त तथ्य के तहत, भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित हो जाएगा

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106। एक बार जब अभियोजन पक्ष साबित कर देता है,

कि यह मृतक और अपीलार्थी हैं, जो इसमें अकेले थे

कमरा और अगले दिन सुबह मृतक का शव

पाया गया था, अपीलार्थी पर यह समझाने की जिम्मेदारी है कि क्या

उस रात हुई है और मृतक की मृत्यु कैसे हुई है

हुआ है।

" 9. इस संबंध में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता हैः त्रिमुख मरोती किरकान बनाम में इस न्यायालय का अवलोकन। की स्थिति

महाराष्ट्र 1 2 2: .

12 (2006) 10 एस. सी. सी. 681 (जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है)।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध नहीं है, कानून का एक और सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि जब कोई दोषपूर्ण परिस्थिति अभियुक्त और उक्त व्यक्ति के सामने रखी जाती है

अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या एक स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, फिर वह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है।

12.9 . उपरोक्त के अलावा, हम सावित्री सामंतराय बनाम के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भी उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं। ओडिशा राज्यः 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 673 उस मामले में साक्ष्य की धारा 106 के संदर्भ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर

अधिनियम, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि यदि अभियुक्त का इरादा अलग था, तो तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं जो उसे करना चाहिए।

साबित करें; और यदि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में, अभियुक्त किसी दोषपूर्ण प्रश्न का जवाब देने से बचता है या कोई ऐसा जवाब देता है जो

सत्य नहीं है, इस तरह की प्रतिक्रिया, अपने आप में, एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी

घटनाओं की श्रृंखला। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

" 19. इस प्रकार, यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके बोझ से मुक्त करना नहीं है, यह उन मामलों में लागू होता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, जिनसे अभियुक्त के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में, जब भी आरोपी से कोई आपत्तिजनक सवाल पूछा जाता है और वह या तो जवाब देने से बच जाता है, या

एक प्रतिक्रिया प्रदान करता है जो सच नहीं है, फिर अपने आप में ऐसी प्रतिक्रिया

घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है।

12.10. जहाँ तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की प्रासंगिकता का संबंध है, अधिकारियों का भार इन सिद्धांतों पर होता है कि - मकसद साबित होता है, जो श्रृंखला में एक और कड़ी की आपूर्ति करेगा

परिस्थितिजन्य साक्ष्य लेकिन, उद्देश्य की अनुपस्थिति अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है, हालांकि उद्देश्य की ऐसी अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है। नंदू सिंह और शिवाजी चिंतप्पा पाटिल (ऊपर) के मामलों में, अनिवार्य रूप से अनवर अली (ऊपर) के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है और निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

- एम. डी. एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 24. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष स्थापित करने में विफल रहा है और मकसद साबित करें और इसलिए आरोपी बरी होने का हकदार है

संबंधित रूप से, यह सच है कि उद्देश्य को साबित करने का अभाव अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी सच है और

कि अगर मकसद साबित हो जाता है जो श्रृंखला में एक कड़ी की आपूर्ति करेगा परिस्थितिजन्य साक्ष्य लेकिन इसकी अनुपस्थिति एक नहीं हो सकती है

अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने का आधार। हालाँकि, उसी समय, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बाबू 1 4 में कहा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो महत्वपूर्ण है। अभियुक्त का पक्ष लेना। पैरा 25 और 26 में, इसे निम्नानुसार मनाया और माना गया हैः

" 25. यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल ", इस न्यायालय ने जांच की

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में उद्देश्य का महत्व और

देखा गयाः

'38 . ..... मकसद एक ऐसी चीज है जो मुख्य रूप से अभियुक्त को ही पता है और अभियोजन पक्ष के लिए यह संभव नहीं है

यह समझाने के लिए कि वास्तव में किस बात ने उन्हें विशेष अपराध करने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित किया।

39. उद्देश्य को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और स्पष्ट है और परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध को साबित करती हैं, तो यह कमजोर नहीं होता है, भले ही उद्देश्य स्पष्ट हो।

बहुत मजबूत नहीं है। '

26. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि एक में उद्देश्य की अनुपस्थिति

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला एक ऐसा कारक है जो भारी पड़ता है अभियुक्त के पक्ष में। (पन्नयार बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. 1) "।

13. जब हम जाँच करते हैं तो उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

इस मामले के सी. टी. एस. और विचारण न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष और

उच्च न्यायालय, हम विद्वान द्वारा आग्रह की गई दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं

अपीलार्थी के लिए।

5 पूरक (1) एस. सी. सी. 80: 1995 एससीसी (सीआरआई) 60.

10) 9 एससीसी 189: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1179 08) 16 एससीसी 73: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 18209) 9 एससीसी 152: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 638: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1480।

समवर्ती निष्कर्ष इस मामले में हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।

14. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने

साथ-साथ इस मामले में निष्कर्षों को दर्ज किया गया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को स्थापित करने में सक्षम रहा है जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि अपीलार्थी पीड़ित, उसकी पत्नी की हत्या के अपराध का दोषी है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा स्थापित बुनियादी तथ्य यह हैं कि पीड़ित के शव को पुलिस स्टेशन लाया गया था; और यह कि रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद (उदा. 1) द्वारा बनाया गया पीडब्लू-1, जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट (उदा. 2) पुलिस स्टेशन में खींचा गया था, जिस पर सूचना देने वाले के साथ-साथ अन्य गवाहों, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू-8 के बयान से आगे यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित की मृत्यु हो गई थी

एस्फिक्सिया के कारण, जो थ्रॉटलिंग का परिणाम था। दूसरे ने

उसकी पत्नी की एक अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी, अपीलार्थी पास में नहीं मिला था और उसे बाद में केवल एक दूर के स्थान पर ही पकड़ा जा सका था। ये तथ्य या तो निर्विवाद हैं या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए घर लाने के अपने प्राथमिक बोझ को पूरा नहीं किया है अपीलार्थी के अपराध के प्रति।

14.1 . फिर, उपरोक्त श्रृंखला में अन्य लिंक

परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में दोहराया जा सकता हैः -

(क) गवाह पीडब्लू-1 मो. अकबर अली ने यह कहानी बताने का प्रयास किया कि पीड़ित बीमारी से पीड़ित था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया कि वह पुलिस स्टेशन गया था। उन्होंने इजहार पर अपने हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की। 1) जिसके कारण एफ. आई. आर. हुई और जाँच रिपोर्ट पर भी (उदा. 2) लेकिन उनके मन के तथाकथित असंतुलन का सुझाव देने का प्रयास किया, जो केवल एक अनिश्चित बहाना था।
(ख) गवाह पीडब्लू-2 से पीडब्लू-6 ने यह भी सुझाव देने का प्रयास किया कि पीड़ित बीमारी से पीड़ित थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी गवाही के संबंध में दो बुनियादी खामियां थींः एक, कि वहाँ नहीं था

उसके अस्पताल में भर्ती होने को दिखाने के लिए किसी भी सबूत के रूप में पुष्टि, यदि ऐसी कोई घटना हुई थी; और एम. डी.

दूसरा, कि गवाह पी. डब्ल्यू.-3 और पी. डब्ल्यू.-4 ने जाँच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया (उदा. 2), जो पुलिस स्टेशन में खींचा गया था। इस बात को शायद ही दोहराने की आवश्यकता है कि अगर पीड़ित की बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई होती, तो न तो उसके शव को पुलिस स्टेशन ले जाने का कोई अवसर होता और न ही शव पर ऐसी चोटें होतीं, जो शारीरिक हमले का संकेत होतीं और न ही डॉक्टर द्वारा पोस्टमॉर्टम कराने का दम घुटने के बारे में राय देने का कोई कारण होता।

थप्पड़ मारने के कारण।

(ग) पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 द्वारा पीड़ित की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सुझाई गई कहानी सरासर झूठ की थी और अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में उस कहानी का स्पष्ट रूप से समर्थन किया और पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 की गवाही को सही माना। अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी, जो उसके साथ रह रही थी, के व्यक्ति पर चोटों के संबंध में और उसके बारे में कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

गला घोंटकर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु का कारण।

(घ) अपीलार्थी स्वीकार्य रूप से प्रासंगिक समय पर अपने निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं था और यहाँ तक कि गाँव के क्षेत्र में भी नहीं था।

लेकिन निश्चित रूप से एक अलग जगह पर था। पुनः, अपीलार्थी ने अपनी जाँच में धारा 313 के तहत सुझाव दिया

सी. आर. पी. सी. ने कहा कि वह अपने लिए दवा खरीदने के लिए दूसरी जगह गया था। न तो उनकी बीमारी की प्रकृति दिखाई गई और न ही उन्हें

कोई दवा ले जाते हुए पाया गया।

15. यहाँ ऊपर देखे गए कारक मामले के निर्णायक नहीं हो सकते हैं जब एकल रूप से लिया जाता है, लेकिन जब पूरी श्रृंखला

निर्विवाद तथ्यों और सिद्ध तथ्यों के माध्यम से स्थापित परिस्थितियाँ इन कारकों के साथ जुड़ी हुई हैं; और सभी प्रासंगिक कारक एक साथ जुड़े हुए हैं, वर्तमान एक ऐसा मामला बन जाता है जहां बोझ पड़ता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा परिकल्पित अपीलार्थी के खिलाफ बहुत अधिक कार्य करता है।

16. पीड़ित कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी की पत्नी थी और उसके साथ रह रही थी। इस प्रकार, यह मूल तथ्य कि वह अपनी पत्नी की संगति से कब अलग हुआ, केवल अपीलार्थी की जानकारी में था। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, जब अपीलार्थी की पत्नी को मृत शरीर के साथ कई घावों के साथ मृत पाया गया और मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना होने के कारण, अपीलार्थी [2022] 18 एस. सी. आर. था।

ऐसी चोटों की व्याख्या करने की आवश्यकता है, जो मृतक को तब लगी थीं जब

पीड़ित) और अपीलार्थी द्वारा आसानी से स्वीकार किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अविमुक्त भार इस मामले में ऐसे मजबूत संबंध प्रदान करता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो जाती है, जिससे अपीलार्थी के अपराध पर किसी भी संदेह से परे निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

19. अन्य प्रस्तुतियाँ, साइट योजना पर संदेह के संबंध में (उदा। 3) या अपीलार्थी की गिरफ्तारी की तारीख को या उस स्थान के बारे में जहाँ से

शव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया गया है। आई. ओ., पीडब्लू-7 ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि उन्होंने योजना तैयार की थी (उदा. 3) स्थल पर और उसे केवल इस इलाज योग्य दोष के कारण विचार से बाहर नहीं हटाया जा सकता था कि इसे आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया था। गिरफ्तारी की तारीख भी अपनी प्रासंगिकता खो देती है क्योंकि भौतिक तथ्य इस बात से निर्विवाद है कि अपीलार्थी

वह अपने आवास के स्थान और क्षेत्र में नहीं पाया गया था और निश्चित रूप से निदानपुर चला गया था, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा था धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता। हमारे विचार में, जिस स्थान से शव को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उठाया गया था, उस पर शायद ही कोई एम. डी. हो।

एनोवर हुसैन वी। असम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

वर्तमान मामले में क्योंकि द्वारा सुझाए गए एकमात्र अन्य स्थान

गवाहों पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-6 के साथ अपीलार्थी वह अस्पताल था जहाँ पीड़ित को कथित रूप से भर्ती किया गया था। इस तरह का सुझाव दिया गया है

20. उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लेते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उद्देश्य ने कोई निर्णायक भूमिका निभाई हो और न ही यह एक ऐसा मामला था जहाँ दो विचार संभव थे। समान रूप से, वर्तमान

मामला केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि का नहीं था। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य निर्णय वर्तमान मामले में अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं रखते हैं।

21. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, यह अपील विफल हो जाती है।

और इसलिए, खारिज कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)